दिनांक 20.12. 2019 को आयोजित संयुक्त/उप संचालकों की मासिक समीक्षा बैठक एवं दिनांक 27.12.2019 की वीडियो कांफ्रेस बैठक का कार्यवाही विवरण।

आयोजित बैठक में सभी संयुक्त/उप संचालकों को निम्नानुसार निर्देश दिये गये–

नियमन शाखा :–

अनुज्ञा पत्र के संबंध :– मण्डी समितियों द्वारा दिनांक 15.08.2019 के पूर्व मैनूअल आधार पर प्रदेश के भीतर एवं प्रदेश के बाहर जारी किये गये अनुज्ञा पत्र सत्यापन हेतु लंबित रह गये है। दिनांक 20.12.2019 को संयुक्त/उप सचांलको की मासिक समीक्षा बैठक मे निर्धारित एजेण्डे मे जानकारी समस्त संभागो से चाही गई थी। सागर संभाग से जानकारी अप्राप्त थी। ग्वालियर संभाग की लश्कर, डबरा, गुना, मुंगावली, ईशागढ, मुरैना, करैरा मण्डी, रीवा संभाग की नागौद एवं शहडोल मण्डी तथा इन्दौर संभाग की पंधाना मण्डी का डाटा उक्त जानकारी मे नही जोडा गया था। आगामी माहो मे समस्त मंडियो से जानकारी प्राप्त कर वास्तविक जानकारी भिजवाये।

लेखा सत्यापन की जानकारी के संबंध मे :– जिन मण्डी समितियों मे 1 वर्ष से अधिक लेखे सत्यापन हेतु लंबित है। उसमे से इन्दौर संभाग की इन्दौर मण्डी में 9472, जबलपुर संभाग की कटनी मण्डी में 1426, गोटगांव में 49, चौरई में 141 तथा रीवा संभाग की सतना मण्डी में 103 लेखे सत्यापन हेतु शेष रह गये है, उक्त लेखों को सत्यापन कराने की कार्यवाही करे।

वाहन प्रतिष्ठान की जांच के संबंध मे :–संभागों द्वारा वसूली की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऑचलिक कार्यालय द्वारा जो जांचदल गठित किया गया है उक्त गठित जांचदल में पूर्व से चले आ रहे कर्मचारियों को हटाया जाकर चक्र पद्वति अनुसार जांचदल सदस्यों की डियूटी लगाई जावे। मंडियों में ई–अनुज्ञा का कार्य प्रारंभ हो जाने से मंडी के सहायक उपनिरीक्षकों जिनकी डयूटी अनुज्ञापत्र मैनुअल आधार पर जारी करने का कार्य था उन्हें मंडियों के जांच दल में सम्मिलित कर वाहन प्रतिष्ठानों की सघन जांच कर मंडी के राजस्व में बढोतरी करें।

ऐसी कृषि उपज जो मण्डी प्रांगण में आती हो परन्तु अधिसूचित नहीं हो उन्हें तत्काल अधिसूचित करने का प्रस्ताव मुख्यालय को प्रेषित करें।

डिफॉल्टर फर्मो के संबंध मे :– जिन मण्डी समितियों मे व्यापारी द्वारा कृषको की कृषि उपज क्रय कर भुगतान मे व्यतिक्रम/भुगतान नहीं किया गया है। उक्त मण्डी सचिव व्यापारी की चल–अचल संपत्ति तथा स्थावर संपत्ति को जिला प्रशासन की मदद/माध्यम से कुर्की की कार्यवाही करवाकर किसानो को उनकी कृषि उपज का भुगतान कराने की कार्यवाही करे।

एम.आई.एस. :–

वित्त वर्ष 2019–20 के माह नवंबर 2019 अन्तर्गत प्रदेश की मंडी समितियों की कृषि जिंसों की आवक तथा मंडी शुल्क से प्राप्त आय की समीक्षा की गई है, जिसमें माह नवंबर 2019 की आवक गतवर्ष के इसी माह की तुलना में –4.05 प्रतिशत की कमी हुई साथ ही माह अप्रैल से नवंबर 2019 में प्रगामी आवक गत वर्ष की तुलना में 2.66 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई है। आंचलिक कार्यालय इन्दौर की प्रगामी आवक –14 प्रतिशत की कमी हुई तथा उज्जैन संभाग के प्रगामी आवक लगभग –15 प्रतिशत की कमी रही है। उक्त संभागों के आंचलिक प्रभारियों को आवक में वृद्धि करने के निर्देश दिये गये है।

माह नवंबर 2019 की मंडी शुल्क से प्राप्त आय गतवर्ष के इसी माह की तुलना में 68.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई साथ ही माह अप्रैल से नवंबर 2019 में प्रगामी आय गत वर्ष की तुलना में 0.05 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई है। आंचलिक कार्यालय भोपाल की प्रगामी आय में –4.26 प्रतिशत की कमी रही है। ऑचलिक कार्यालय जबलपुर की प्रगामी आय में –6.49 प्रतिशत की कमी रही है। इसी प्रकार ऑचलिक कार्यालय रीवा की प्रगामी आय में –15.15 प्रतिशत की कमी

परिलक्षित हुई है। इस संबंध में संबंधित ऑचलिक प्रभारियों को निर्देश दिये गये कि वे वित्तीय वर्ष के शेष रहे माहों में मंडियों की आय बढाने हेतु आवश्यक कदम उठायें।

ई–अनुज्ञा –

ई–अनुज्ञा एवं मैनुअल पत्रों का वर्षानुसार तुलनात्मक विश्लेषण– 16 अगस्त से 31 अगस्त 2019 में 63669 अनुज्ञा पत्र ई–अनुज्ञा पोर्टल से जारी किये गये जबकि इसी अवधि में वर्ष 2018 में 42466 वर्ष 2017 में 42554 एवं वर्ष 2016 में 26901 मैनुअल अनुज्ञा पत्र जारी किये गये।

इसी प्रकार माह सितम्बर 2019 में 107279 अनुज्ञा पत्र ई–अनुज्ञा पोर्टल से जारी किये गये जबकि इसी अवधि में वर्ष 2018 में 90225, वर्ष 2017 में 74200 एवं वर्ष 2016 में 58632 मैनुअल अनुज्ञा पत्र जारी किये गये।

माह अक्टूबर 2019 में 128251 अनुज्ञा पत्र ई–अनुज्ञा पोर्टल से जारी किये गये जबकि इसी अवधि में वर्ष 2018 में 90225, वर्ष 2017 में 74200 एवं वर्ष 2016 में 58632 मैनुअल अनुज्ञा पत्र जारी किये गये।

माह नवम्बर 2019 में 182817 अनुज्ञा पत्र ई–अनुज्ञा पोर्टल से जारी किये गये जबकि इसी अवधि में वर्ष 2018 में 121721, वर्ष 2017 में 140455 एवं वर्ष 2016 में 85970 मैनुअल अनुज्ञा पत्र जारी किये गये।

01 से 15 दिसम्बर 2019 में 86382 अनुज्ञा पत्र ई–अनुज्ञा पोर्टल से जारी किये गये जबकि इसी अवधि में वर्ष 2018 में 68662, वर्ष 2017 में 57729 एवं वर्ष 2016 में 55518 मैनुअल अनुज्ञा पत्र जारी किये गये।

ई–अनुज्ञा पोर्टल पर व्यापारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जारी ई–अनुज्ञा पत्रों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रतिशत में– 16 अगस्त से 31 अगस्त 2019 की अवधि में 39.46 प्रतिशत ई– अनुज्ञा पत्र व्यापारियों द्वारा जारी किये गये जबकि 60.54 प्रतिशत अनुज्ञा पत्र कर्मचारियों द्वारा जारी किये गये।

माह सितम्बर 2019 की अवधि में 48.21 प्रतिशत ई– अनुज्ञा पत्र व्यापारियों द्वारा जारी किये गये जबकि 51.79 प्रतिशत अनुज्ञा पत्र कर्मचारियों द्वारा जारी किये गये।

माह अक्टूबर 2019 की अवधि में 50.70 प्रतिशत ई– अनुज्ञा पत्र व्यापारियों द्वारा जारी किये गये जबकि 49.30 प्रतिशत अनुज्ञा पत्र कर्मचारियों द्वारा जारी किये गये।

माह नवम्बर 2019 की अवधि में 55.74 प्रतिशत ई– अनुज्ञा पत्र व्यापारियों द्वारा जारी किये गये जबकि 44.26 प्रतिशत अनुज्ञा पत्र कर्मचारियों द्वारा जारी किये गये।

01 से 15 दिसम्बर 2019 की अवधि में 56.84 प्रतिशत ई– अनुज्ञा पत्र व्यापारियों द्वारा जारी किये गये जबकि 43.16 प्रतिशत अनुज्ञा पत्र कर्मचारियों द्वारा जारी किये गये।

प्राप्त मंडी फीस का तुलनात्मक विश्लेषण – माह अगस्त 2016 में मंडी फीस 28 करोड रूपये प्राप्त हुई जबकि इसी अवधि में वर्ष 2017 में 45 करोड, वर्ष 2018 में 49 करोड एवं वर्ष 2019 में 73 करोड मंडी फीस के रूप में प्राप्त हुये।

माह सितम्बर 2016 में मंडी फीस 33 करोड रूपये प्राप्त हुई जबकि इसी अवधि में वर्ष 2017 में 44 करोड, वर्ष 2018 में 38 करोड एवं वर्ष 2019 में 55 करोड मंडी फीस के रूप में प्राप्त हुये।

माह अक्टूबर 2016 में मंडी फीस 54 करोड रूपये प्राप्त हुई जबकि इसी अवधि में वर्ष 2017 में 61 करोड, वर्ष 2018 में 89 करोड एवं वर्ष 2019 में 85 करोड मंडी फीस के रूप में प्राप्त हुये।

माह नवम्बर 2016 में मंडी फीस 49 करोड रूपये प्राप्त हुई जबकि इसी अवधि में वर्ष 2017 में 82 करोड, वर्ष 2018 में 107 करोड एवं वर्ष 2019 में 180 करोड मंडी फीस के रूप में प्राप्त हुये।

विभागीय जांच शाखा :–

विभागीय जांच के 102 प्रकरण लंबित है। जिसमें भोपाल संभाग के 08, इन्दौर संभाग के 26, उज्जैन संभाग के 10, सागर संभाग के 08, जबलपुर संभाग के 23, ग्वालियर संभाग के 16 एवं रीवा संभाग के 15 इस प्रकार 106 प्रकरण लंबित है। ऑचलिक कार्यालय के संयुक्त एवं उप संचालको को निर्देश दिये गये वे जांच प्रतिवेदनों में अभिमत अंकित कर प्रकरणों का निराकरण कराना सुनिश्चित करें।

वित्त शाखा :–

1. मण्डी समितियों से पूर्व वर्षो का बकाया बोर्ड शुल्क दिनांक 31.12.2019 तक भेजने के निर्देश दिये गये।
2. बोर्ड ऋण ओवर डयू :– बोर्ड ऋण ओवर डयू की किशत दिनांक 31.12.2019 तक मुख्यालय भेजने हेतु निर्देशित किया गया।
3. राज्य विपणन विकास निधि की जानकारी तत्काल मुख्यालय भेजने के निर्देश दिये गये।
4. स्थानीय निधि संपरीक्षा के संबंध में फीस लोकल फण्ड में जमा कराने के निर्देश दिये गये।
5. सभी ऑचलिक संयुक्त/उप संचालक को निर्देशित किया गया कि वे अपने संभाग एवं अधिनस्थ मंडियों के सचिवों को सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के जीवित होने का प्रमाणपत्र मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में माह दिसम्बर की पेंशन रोकने के निर्देश दिये गये।

कार्मिक शाखा :–

ई–मंडी अनुज्ञा अंतर्गत संभाग की मंडियों में आउट सोर्स से रखे गये डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों के माह जुलाई 2018 से जनवरी 2019 तक भोपाल संभाग की 03 मंडियों, उज्जैन संभाग की 04 मंडियों, ग्वालियर संभाग की 03 मंडियों, सागर संभाग की 07 मंडियों एवं जबलपुर संभाग की 02 मंडियों से राशि प्राप्त नहीं हुई है। मंडी सचिवों को निर्देशित किया गया कि वे तत्काल राशि जमा कराना सुनिश्चित करें।

माह जुलाई 2019 से वर्तमान तक किये गये स्थानांतरणों की भारमुक्ति/उपस्थिति की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

ऑचलिक कार्यालयों एवं मंडी समितियों के अधिकारी/कर्मचारियों की वर्ष 2018–19 की गोपनीय चरित्रावलियां उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

एच.आर. सॉफटवेयर में अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा अभिलेख एवं व्यक्तिगत डाटा की प्रविष्टि करने के संबंध में मुख्यालय द्वारा दिनांक 14.10.2019 को पत्र जारी किया गया था जिसमें दिनांक 21.10.2019 तक जानकारी साफटवेयर में दर्ज कर मुख्यालय को उपलबध कराने के निर्देश दिये गये थे। परन्तु तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्रियों द्वारा निर्धारित तिथि तक जानकारी मुख्यालय को प्रेषित नहीं की गयी है। अतः सभी तकनीकी संभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि तत्काल जानकारी साफटवेयर में दर्ज कराकर मुख्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भावातर भुंगतान योजना :–

रबी 2018 में सहकारी समितियों को प्रदाय कम्प्यूटर, हार्यवेयर मंडी समितियों यथा– जिला भोपाल, राजगढ, बैतूल, हरदा, सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, श्योपुर एवं सिंगरौली मंडी को वापस करने के निर्देश दिये गये।

प्याज एवं लहसुन के कृषकों को बकाया भुगतान संबंधी प्रकरणों को उद्यानिकी विभाग को सीधे भेजे जाने के निर्देश दिये गये।

प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की समीक्षा हेतु अक्टूबर 2019 की मासिक समीक्षा बैठक में संभागवार सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

सी.एम. हेल्पलाईन अन्तर्गत भांवातर भुगतान के 288 प्रकरणों पर जिला उप संचालक कृषि से संपर्क कर निराकरण कर पोर्टल पर दर्ज कराने के निर्देश दिये गये।

विधानसभा आश्वासन के प्रकरणों पर तत्काल कार्यवाही पूर्ण कर मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिये गये।

सतर्कता शाखा :–

ऑचलिक कार्यालय भोपाल संभाग–33, इन्दौर संभाग–20, उज्जैन संभाग–16, ग्वालियर संभाग–52, सागर संभाग–51, जबलपुर संभाग–129 एवं रीवा संभाग–21 कुल 322 सामान्य शिकायतें, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से प्राप्त शिकायत जबलपुर संभाग में 03 तथा जबलपुर संभाग से विधानसभा आश्वासन के 38 शिकायतों के जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। लंबित शिकायतों की जॉच प्राथमिकता के आधार पर की जाकर प्रतिवेदन अपने अभिमत सहित मुख्यालय भेजने के निर्देश दिये गये।

प्रांगण शाखाः–

मण्डी/उपमंडी प्रांगण में राजस्व अभिलेखों में मंडी के नाम की प्रविष्टिः–

राजस्व अभिलेखों में संभागीय कार्यालयों द्वारा मंडी के नाम से प्रविष्टियां कराई गई है। जिनमे से कुछ संभागों में प्रकरण लंबित रह गये वे इस प्रकार है– भोपाल संभाग–13, नर्मदापुरक संभाग–11, ग्वालियर–04,, मुरैना संभाग–01, इन्दौर संभाग–11, उज्जैन संभाग–10, सागर संभाग–11, जबलपुर संभाग–26, रीवा संभाग–03 इस प्रकार कुल 90 प्रकरणों का कार्य शेष है। सभी संयुक्त संचालक/उप संचालक को निर्देशित किया गया कि वे यथाशीघ्र कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

अतिक्रमण :–

प्रदेश के सभी संयुक्त/उप संचालक, ऑचलिक कार्यालयों की मंडियों में 2472 प्रकरण अभी भी अतिक्रमण शेष है उसे मुहिम चलाकर हटाने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये तथा आगामी बैठक में पालन प्रतिवेदन के साथ उपस्थिति होने के निर्देश दिये गये।

मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण में निर्मित संरचनाओं के आवंटन की जानकारी :–

ऑचलिक कार्यालयों में आवंटित की गयी संरचनाओं में से शेष की जानकारी निम्नानुसार है भोपाल 1360, नर्मदापुरम संभाग 145,इन्दौर 465, उज्जैन 486, सागर 252, ग्वालियर 73, मुरैना संभाग 157, जबलपुर 266, रीवा 44 इस प्रकार कुल 3248 संरचनाओं के प्रकरण लंबित पाए गए। इन प्रकरणो का निराकरण कराने के निर्देश दिये गये।

योजना शाखा :–

(1) मंडी प्रांगण में कृषक/हम्माल एवं तुलावटी हेतु रूपये 5/– थाली भोजन की योजना अंतर्गत अनुदान राशि के भुगतान के संबंध में कडाई से पालन करने के निर्देश दिये गये। प्रदेश की 35 कृषि उपज मंडी समितियों में केन्टीन बन्द है जिन्हें तत्काल चालू कर भोजन की व्यवस्था करने के

निर्देश मंडी सचिवों को दिये गये। (2) मण्डी व्यापारियों के समूह बीमा हेतु चाही गई जानकारी अप्राप्त है जिसे तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। (3) प्रदेश की समस्त कृषि उपज मंडी समितियों में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी के पुत्र/पुत्रियों द्वारा वर्ष 2018–19 में कक्षा 10वी एवं 12वीं में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों उनकी एकजाई सूची निर्धारित प्रपत्र में चाही गई है। सागर एवं रीवा संभाग से पूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है शेष संभागों से जानकारी अप्राप्त है। (4) संभाग अन्तर्गत ''अ'' एवं ''ब'' श्रेणी की कृषि उपज मंडी समितियों की कृषक भोजन व्यय के भुगतान की एकजाई जानकारी प्रत्येक माह की 10 तारीख तक निर्धारित प्रपत्र ''अ'' पर अनिवार्य रूप से भेजने के निर्देश दिये गये। (5) कृषि विपणन पुरूस्कार योजना अंतर्गत वर्ष 2019–20 में दिनांक 21.08.2019 को बलराम जयंती के उपलक्ष्य में जिन मंडी समितियों में किसी कारणवश पुरूस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सके उनमें अन्य तिथि निर्धारित की जाकर कार्यक्रम आयोजित किये जावे एवं उक्त कार्यक्रमों में माननीय मंत्रीजी सह अध्यक्ष महोदय एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाकर पुरूस्कारों का वितरण कराने के निर्देश दिये गये। साथ ही मंडी समितियों द्वारा उक्त आयोजनों का दिनांकवार कैलेण्डर तैयार किया जाकर मंडी बोर्ड मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

विधि शाखा :–

संभागवार कुल 729 न्यायालयीन प्रकरणों में से माननीय न्यायालय में 638 प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है। शेष 91 प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत करने की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

ई–नेम –

1. राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) योजना अंतर्गत माह में कम से कम 20 कृषकों का भुगतान (e-NAM) पोर्टल पर पेमेन्ट गेटवे से अनिवार्य रूप से किये जाने हेतु समस्त मण्डी सचिवों को निर्देश दिये जाना है। इस संबंध में आई.सी.आई.सी.आई.बैंक के संभागीय प्रमुख श्री मनीष माथुर मोबाइल नंबर 9752096457 एवं श्री मनीष कुमार बादल स्टेट को आर्डिनेटर (N.F.C.L.) मोबाइल नंबर 9079049144 से संपर्क कर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये जाना है।

2. राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के कियान्वयन की प्रगति का विवरण पत्रक (Chart) संलग्न है। विवरण पत्रक (Chart) अनुसार संबंधित मण्डियों को निर्देश दिये जाना है।

3. मण्डियों द्वारा (e-NAM) पोर्टल पर चयनित जिन्सों का व्यापार शत–प्रतिशत ई–नेम पर किये जाने के निर्देश दिये जाना है। चयनित जिन्सों की आवक नहीं होने पर अन्य जिन्सों की कुल आवक का 25% अनिवार्य रूप से (e-NAM) पोर्टल पर ऑनलाईन ट्रेडिंग की पूर्ण कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये जाना है।

4. ''राष्ट्रीय कृषि बाजार'' e-NAM पोर्टल पर ऑनलाईन व्यापार किये जाने के संबंध में मण्डी स्तर पर FPOs/FPCs को मण्डी अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये जाना है।

5. इन्टरमण्डी (Inter mandi) ऑनलाईन ट्रांजेक्शन के लिये मण्डी में e-NAM पोर्टल पर पंजीकृत समस्त व्यापारियों के ऑन–लाईन व्यापार एवं ई–प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति (Unified Licence) स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये जाना है।

अंत में धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

30/12/19

(अशोक कुमार वर्मा)
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

क्रमांक / बोर्ड / समन्वय / चा2-06/1118 भोपाल, दिनांक 31 / 12 / 2019

प्रतिलिपि :–

01. निज सहायक प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
02. अपर संचालक / प्रमुख अभियंता / संयुक्त संचालक / अधीक्षण यंत्री / उप संचालक / लेखाधिकारी (समस्त) मण्डी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
03. संयुक्त / उप संचालक (समस्त) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ऑचलिक कार्यालय,.............
04. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, ...

30/12/19

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल